जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक-05.03.2025

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत युवक की हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शव को ग्राम मखमूलपुर के जंगल में गन्ने के खेत में छिपाए जाने की घटना का अनावरण करते हुए घटना में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार , कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।

ज्ञात हो कि दिनांक 02.03.2025 को दोपहर के समय पीआरवी 112 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मखमूलपुर के जंगल में गन्ने के खेत में करीब 35-40 वर्ष के अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कांधला पुलिस, फारेन्सिक टीम, सर्विलान्स, डॉग स्कवायड द्वारा मौके पर पहुचंकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। प्रयास के पश्चात मृतक की शिनाख्त कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली के रुप में उसके परिजनों द्वारा की गई। मृतक कन्डेला फैक्ट्री में काम करता था। घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई राजीव कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उपरोक्त घटना की गंभीरता के दृष्टिगत घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी किये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कांधला को निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत युवक की हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से शव को ग्राम मखमूलपुर के जंगल में गन्ने के खेत में छिपाए जाने की घटना का अनावरण करते हुए घटना में लिप्त अभियुक्त अभय कुमार मलिक उर्फ विशाल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम मखमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली को चैंकिग के दौरान रामवीर के ईट के भट्टे के पास ग्राम रामपुर खेड़ी से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में लिप्त एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई है। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का उद्देश्य/क्रम- मृतक कुलदीप पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम सिलावर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली व अभियुक्त अभय कुमार मलिक उर्फ विशाल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम मखमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली आपस में दोस्त है तथा शराब पीने के आदि है। मृतक कुलदीप कंडेला में पेपर मील में तथा अभियुक्त अभय माचिस की फैक्ट्री में काम करता है। दिनांक 02.03.2025 की शाम को करीब 09.00 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद दोनों मिले तथा अभय की मोटर साइकिल से गांव मखमूलपुर के लिए चल दिये। दोनों ने अभय के ईख के खेत के किनारे बैठकर शराब पी। इसी दौरान कुलदीप ने अभय के साथ गाली गलौज की ,इसी बात से नाराज होकर अभय ने कुलदीप को काबू कर उसके हाथ पैर बाधकर उसकी चादर से कपड़ा फाडकर उसकी गला घोटकर हत्या कर दी तथा उसके शव को गन्ने के खेत के पास छोड़कर घर चला गया तथा घर जाकर घटना के बारे में अपने भाई कमल को बताया। इस के बाद अभय व कमल ने वापस आकर कुलदीप के शव को गन्ने के खेत के अन्दर साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से डाल दिया। दोनो पर शक न हो इसलिए कमल द्वारा योजनानुसार डायल 112 पर उसके गन्ने के खेत में एक शव मिलने की सूचना दी थी। अभियुक्त द्वारा शराब पीने के दौरान मृतक कुलदीप द्वारा गाली गलौज करने के कारण कुलदीप की हत्या की गई है तथा उसके भाई कमल द्वारा मृतक के शव को साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य से छिपाया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.अभय कुमार मलिक उर्फ विशाल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम मखमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली

गिरफ्तारी हेतु शेष/सह अभियुक्तः-

1.कमल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम मखमूलपुर थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल होन्डा डिलक्स रजि नं0 UP19B 8919।

थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुन्ना में मारपीट कर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 24.02.2025 को थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुन्ना में वादी साजिद अली पुत्र दीनू उर्फ दीन मौहम्मद निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली के भाई अफशरुन की ग्राम सुन्ना निवासी अभियुक्तगण आशु, जावेद, ताजुदीन आदि नें मारपीट कर हत्या कर दी गयी थी। थाना कांधला पुलिस द्वारा मृतक के शव की पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। मृतक के भाई साजिद उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से सम्बन्धित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुन्ना में मारपीट कर व्यक्ति की हत्या करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को ग्राम भभीसा भगत सिंह की मूर्ति के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में संलिप्त अभियुक्त आशु पुत्र लतीफ निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.जावेद पुत्र नूरहनस निवासी ग्राम सुन्ना थाना कांधला जनपद शामली।

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 ग्राम स्मैक व 01 इलैक्ट्रोनिक काटा बरामदः-

आज दिनांक 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा 02 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध अवैध 20 ग्राम स्मैक व 01 इलैक्ट्रोनिक काटा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.इरशाद पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला गांधीनगर कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.आरिस उर्फ आची पुत्र नसीम अली निवासी मौहल्ला प्रेमनगर, कस्बा बनत थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10-10 ग्राम स्मैक (अभियुक्तगण इरशाद व आरिस उर्फ आची से बरामद)

2.एक छोटे साइज का इलैक्ट्रनिक काटा (अभियुक्त इरशाद से बरामद)

थाना कोतवाली शामली/आदर्शमंडी पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 05.03.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली/आदर्शमंडी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.कृष्ण कुमार पुत्र पालेराम निवासी ग्राम कुराड थाना सदर पानीपत जिला पानीपत हरियाणा।

2.गंगादास पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम गोहरनी थाना आदर्श मंडी जनपद शामली।